न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2020

बउनवान

हेमराज आयु 62 साल पुत्र श्री हीरालाल जाति–कुम्हार निवासी–माथना
तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

1–सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 461 दिनांक 17.12.2004 ग्राम रारोती अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेट)

निर्णय दिनांक– 01.02.2021

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 461 दिनांक 17.12.2004 वाके ग्राम रारोती से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट के पिता हीरालाल पुत्र नाथू कुम्हार निवासी माथना के शामलाती खातेदारी की आराजी वाके ग्राम रारोती में खसरा नम्बर 251 रकबा 1.72 है0 स्थित थी। अपीलांट के भाई लालचंद की मृत्यु होने के कारण मृतक लालचदं की पत्नी कमलाबाई ने फौती इन्तकाल व अपीलांट के पिता श्री हीरालाल का इन्तकाल खोलते समय सजरा बनाते समय अपीलांट हेमराज के स्थान पर सजरे में खेमराज लिपिकीय गलती से लिख दिया है। जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम हेमराज है। अपीलांट उस समय बाहर नौकारी करता था। गॉव में नहीं रहता था। हल्का पटवारी रारोती द्वारा हीरालाल के वारिसान् की सहीं जॉच नहीं की है। दिनांक 17.12.2014 को हीं मृतक हीरालाल व मृतक लालचन्द के वारिसान् का सजरा बनाकर उसी दिन तहसीलदार, बारां द्वारा इन्तकाल तस्दीक किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:20 IST
Reason: SelfAttested

2– अपीलांट के सारे दस्तावेज बैंक एकाउंट पासबुक, पेनकार्ड, राशनकार्ड, आधारकार्ड व वोटरलिस्ट में अपीलांट का नाम हेमराज पुत्र हीरालाल जाति–कुम्हार निवासी माथना तहसील–बारां दर्ज है। अपीलांट को उक्त त्रुटि की जानकारी अपने खाते की नकल के0सी0सी0 बनवाने व पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना के लिये नकल लेने पर हुयी कि अपीलांट का नाम हेमराज के स्थान पर खेमराज दर्ज है। जानकारी से नकल दिनांक 03.03.

2020 को प्राप्त अपील कर, अपील जानकारी से अवधि मध्य पेश की है। देरी के लिए मियाद प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 461 दिनांक 17.12.2004 में हुई गलती को दुरूस्त करते हुये राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम खेमराज पुत्र हीरालाल के स्थान पर हेमराज पुत्र हीरालाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तकरण अभिलेख छायाप्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के पिता हीरालाल पुत्र नाथू कुम्हार सा. माथना के शामलाती खाते में ग्राम रारोती में आराजी ख0 नं0 251 रकबा 1.72 है0 स्थित है। अपीलांट के पिता व भाई लालचन्द की मृत्यु पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा फौती इन्तकाल संख्या 461 दिनांक 17.12.2004 को तस्दीक किया गया है। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा मृतक हीरालाल के वारिसान् के सजरे में अपीलांट पुत्र हेमराज का नाम सहवन या लिपिकीय त्रुटिवश खेमराज दर्ज कर दिया है। अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो जाने से अपीलांट को सरकारी कार्य व के.सी.सी. लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। फर्द दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि उसकी सारी आई0डी. राशनकार्ड, पेनकार्ड, वोटरकार्ड, आधारकार्ड व बैंक पासबुक में अपीलांट का वास्तविक नाम हेमराज पुत्र हीरालाल जाति–कुम्हार नि. माथना हीं दर्ज है। अतः तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 461 दिनांक 17.12.2004 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का वास्तविक सहीं नाम हेमराज पुत्र हीरालाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5– इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन है कि यदि अपीलांट का नाम वास्तविक हेमराज हीं है तथा समस्त आई0डी0 हेमराज के नाम से हीं जारी है तो इन्तकाल में दर्ज नाम खेमराज को निरस्त कर, हेमराज के नाम इन्तकाल दर्ज किया जा सकता है।

6– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलांट का बहस के दौरान कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा हीरालाल व लालचंद की मृत्यु पर वारिसान् [illegible] इन्तकाल संख्या 461 दिनांक 17.12.2004 वाके ग्राम रारोती खोला गया है। जिसमें सहवन मृतक हीरालाल के वारिसान् का सजरा तैयार करते समय अपीलांट हेमराज पुत्र का नाम खेमराज दर्ज कर दिया है, जिसे सहीं किया जावे। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् यथा राशनकार्ड, वोटर आई.डी., आधारकार्ड, पेनकार्ड व बैंक पासबुक के अवलोकन से पाया जाता है कि यह सभी दस्तावेजात् हेमराज पुत्र हीरालाल कुम्हार निवासी माथना के नाम से जारी है। इससे स्पष्ट होता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:20 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलांट का नाम हेमराज के स्थान पर खेमराज दर्ज किया गया है।

7– अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 461 दिनांक 17.12.004 ग्राम रारोती निरस्त किया जाता है। साथ हीं तहसीलदार, बारां को निर्देश दिये जाते है कि मृतक हीरालाल के फौती इन्तकाल में अपीलांट का नाम खेमराज पुत्र हीरालाल के स्थान पर हेमराज पुत्र हीरालाल कुम्हार नि. माथना दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:20 IST
Reason: SelfAttested